



0364-2223320
 FAX : 0364-2223170/2224937
 E-Mail: megh.gdc.soi@gov.in

भारत सरकार
 GOVT OF INDIA



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
 SURVEY OF INDIA

Celebrating 250 years of
 service to the Nation

निदेशक का कार्यालय OFFICE OF DIRECTOR
 मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश
 MEGHALAYA & ARUNACHAL PRADESH
 भू-स्थानिक आँकड़ा केंद्र GEO-SPATIAL DATA CENTRE
 डाक पेट्टी सं. 89 POST BOX NO. #89
 माल्की, शिलांग-793 001 MALKI, SHILLONG - 793 001
 मेघालय, भारत MEGHALAYA, INDIA

नेमी आदेश संख्या - (प्रशासनिक), दिनांक:
ROUTINE ORDER NO. 03 (ADM), DATED 08 JUNE, 2021

1. एम. ए. सी. पी. योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति
GRANT OF 1st FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग का पत्र सं A-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009 द्वारा प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 35034/3/2008- स्था. (डी.) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार निचे दर्शाए गए मेघालय एवं अरु. प्र. जीडीसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'B' गैर राजपत्रित (सर्वेक्षक) कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत की जाती है तथा वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-7(44,900 रु - 1,42,400 रु) में निर्धारण करने की स्वीकृति दी जाती है और ये उन कर्मचारी के नाम के आगे दर्शाए गए दिनांक से प्रभावित होगी।

The under mentioned Group 'B' (Non-Gazetted) staff of Meghalaya & Ar. P. GDC, Survey of India, Shillong are hereby granted 1st Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the Level 7 of Pay Matrix (Rs. 44,900-Rs. 1,42,400) with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 (received vide Department of Science & Technology letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 1 st Financial Upgradation is admissible
1.	Shri Amiyo Kumar Rabha	Surveyor	01-10-2020
2.	Shri Ashish Kumar Dutta	Surveyor	01-10-2020
3	Shri Baptu Paul	Surveyor	01-10-2020
4	Shri Suprio Das	Surveyor	01-10-2020
5	Shri Sudipta Deb	Surveyor	01-10-2020
6	Shri Thunderson Kharbyngngar	Surveyor	01-01-2021
7	Shri Bansailang Kharmawphlang	Surveyor	01-01-2021

एम0 ए0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपर दिए गए अधिकारियों को नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ0 आर0 22(1) (a)(1) के तहत विकल्प देना होगा

उपयुक्त अधिकारियों के विरुद्ध यदि सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासित कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला होने पर वित्तीय उन्नयन न किया जाए

अतिरिक्त शामिल खर्च को मेघालय एवं अरु प्रदेश जीडीसी, शिलांग के वर्ष 2021-22 के स्वीकृत बजेट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उसे उचित मुख्य खाते में डेबिट किया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

If there is a case of vigilance / disciplinary case is pending against the above officers, the financial upgradation is not to be done.

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2021-22 and will be debited to the appropriate head of account.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार:- भारतीय महासर्वेक्षक का पत्र सं० सी-1115/1902-एमएसीपी-1(सर्वेक्षक)(coll.IV) दिनांक 17/18 मार्च, 2021)
(Authority:- SG's letter No. C-1115/1902-MACP-I (Surveyor) Coll.IV) dated 17/18 March 2021)

2. मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति
PROMOTION TO THE POST OF CHIEF DRAFTSMAN ON REGULAR BASIS

निचे दिए गए मानचित्रकार डिविजन-1 को नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) सेवा, के पद पे जिसका वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44,900 रू - 1,42,400रू) होगा, पदोन्नति की जाती है और इसका प्रभाव उनके नाम के आगे दिए गए दिनांक से होगा।

The under mentioned Draftsman Division-I is hereby promoted to the post of Chief Draftsman in the Group 'B' (Gazetted) service on regular basis in the Level 7 of Pay Matrix (Rs. 44,900- Rs. 1,42,400) with effect from the date as shown against her name.

Sl. No.	Name	Designation	Date of Promotion
1.	Smt. F. Jyrwa (ST)	Chief Draftsman	19-03-2021

उपर दिए गए अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ0 आर0 22(1) (a)(1) तहत विकल्प देना होगा

पदोन्नति का आदेश डिओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं० 36021/11/2016-स्था०(रेस०1) (पीटी II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 4 के अंतर्गत उल्लेख किए गए निर्देशों के अनुसार है। पैनल की चुनिंदा सूचियां कंटेम्प्ट पिटीशन(सी) सं०30621/2011 (जरनैल सिंह अथवा दूसरे बनाम लछमी नारायण अथवा दूसरे) और एसलपी(सी) सं० 31288/2017 अथवा कोई दूसरा इस मामले से संबन्धित अदालत के मामले के परिणाम के अधीन होंगी।

उपयुक्त अधिकारियों के विरुद्ध यदि सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासित कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला होने पर वित्तिय उन्नयन न किया जाए

अतिरिक्त शामिल खर्च को मेघालय एवं अरु प्रदेश जीडीसी, शिलांग के वर्ष 2021-22 के स्वीकृत बजेट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उसे उचित मुख्य खाते में डेबिट किया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।

The above officer is required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

The promotion order is according to the instructions mentioned under Para 4 of DoP & T's O.M. No. 36021/11/2016- Estt (Res.1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select lists of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP(C) No. 31288/2017 and any other Court Cases related to this matter.

If there is a case of vigilance / disciplinary case is pending against the above officers, the financial upgradation is not to be done.

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2021-22 and will be debited to the appropriate head of account.

Pay of the above officer will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार:- भारतीय महासर्वेक्षक का पत्र सं० सी-925/1800(1) दिनांक 10.03.2021
(Authority:- SG's letter No. C-925/1800(1) dated 10-03-2021)

रंजन नेगी

(कर्नल रंजन नेगी)
निदेशक

मेघालय एवं अरु. प्रदेश जी.डी.सी.

Distribution:-

1. The Surveyor General of India, Dehra Dun for information please.
2. The Addl. S.G., NEZ, Shillong for information, please.
3. The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please.
4. The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <adm.n.soi@gov.in>) with a request to publish on SOI website, please.
5. E.&A.O for information and necessary action, please.
6. File: 37-G-9/14-C-1(MACP) /4-F-10